राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/ दिनांक 01.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 महामारी के फैलने का खतरा है, जिसे पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक माना गया है।

और जबकि, कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन उपायों से उत्पन्न होने वाली स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के साथ–साथ प्रवासी मजदूरों और गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए राहत उपायों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह समीचीन महसूस किया जाता है कि दिल्ली के ऐसे निवासियों की संकटकालीन कॉल को प्राप्त करने के लिए एक पैन–दिल्ली हेल्पलाइन नंबर चालू करें और उन्हें निकटतम आश्रयों/भूख राहत केंद्रों के विषय में जानकारी प्रदान करें।

अब, इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, अद्योहस्ताक्षरी को, अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि प्रशासनिक सुधार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का हेल्पलाइन नंबर 1031 लॉकडाउन की अवधि अर्थात् 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने में दिल्ली के लोगों की सहायता करने के लिए "दिल्ली कोविड–19 हेल्पलाइन" के रूप में कार्य करेगी,

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न जिलों में खाद्य/भूख राहत केंद्रों की स्थापना।
ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न जिलों में अस्थायी आश्रयों की स्थापना।
ग) डूसिब नाइट शेल्टर/रेन बसेरा।
घ) केवल आवश्यक सेवाओं के पहुंच की सुविधा के लिए ई–पास।
ङ) उचित दर दुकानें/राशन की दुकान/पीडीएस आउटलेट।
च) निर्माण श्रमिकों के लिए मुआवजा।

प्रधान सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का 24x7 आधार पर इस हेल्पलाइन के सुचारू कार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु, प्रधान सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)।

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
5. मुख्य सचिव, दिल्ली / अध्यक्ष, एसईसी (डीडीएमए)।
6. अपर मुख्य सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, सरकार।
9. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम / पूर्व दिल्ली नगर निगम / उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
10. आयुक्त (कर एवं व्यापार), दिल्ली।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. समस्त जिला डीसीपी, दिल्ली पुलिस।
13. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
14. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with CamScanner